

प्रारंभिक संबोधन

माननीय सदस्यगण,

पन्द्रहवीं बिहार विधान सभा के चौदहवीं सत्र के शुभारम्भ के अवसर पर आप सबों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

वर्तमान सत्र के दौरान कुल 24 बैठकें होंगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक आय-व्यय पर सामान्य विमर्श के लिए 2 दिन, विभिन्न विभागों की माँगों पर विमर्श के लिए 14 दिन, राजकीय विधेयक के लिए 2 दिन, गैर सरकारी संकल्प के लिए 2 दिन, विनियोग विधेयक के लिए 2 दिन एवं प्रथम अनुपूरक विवरणी के लिए 1 दिन प्रस्तावित है।

हमारी लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली समाज में अन्तर्निहित विरोधाभाषों के बावजूद विगत वर्षों में काफी सबल हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि समाज में भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के लोगों के रहने के बावजूद राष्ट्रीय एवं राज्यहित के मुद्दों पर आम सहमति बन जाती है।

सामाजिक अन्तर्विरोधों के बावजूद समन्वय स्थापित करने के लिए एक ऐसी विचारधारा बनाने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य जाति, पंथ, धार्मिक कट्टरवादिता और विघटनकारी बाधाओं को दूर करना हो। उक्त मूल्यों की प्राप्ति हेतु नीति निर्धारक निकायों में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना होगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं समाज के आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के विकास पर अधिक ध्यान देना होगा।

संविधान में सन्निहित धर्म निरपेक्षता की अवधारणा को साम्प्रदायिक बोध के रूप में नहीं, बल्कि प्रजातांत्रिक वचनबद्धता के तहत राजनीतिक आदर्श के रूप में विकसित करना होगा।

संसदीय प्रणाली में शासन को केवल लोक संसाधन के उपयोग पर प्रभावी निगरानी रखने का ही कार्य नहीं है, बल्कि नीतियों को जनता की आवश्यकतानुसार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की भी जिम्मेवारी है। यह तभी

सम्भव हो सकता है जब सदन के अन्दर सत्ता पक्ष सकारात्मक और विपक्ष रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करे ।

विधायी एवं संसदीय प्रक्रिया से छात्र-छात्राओं को अवगत कराने हेतु पूर्व की भाँति इस सत्र में भी प्रतिदिन 50 छात्रों (25 छात्र एवं 25 छात्राओं) को सदन के प्रथम पाली की कार्यवाही देखने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिला सहित अन्य जिलों में इंसेफ्लाईटिस ने हमारे राज्य एवं देश के चिकित्सकों के अथक प्रयास के बावजूद सौ से अधिक मासूम बच्चों की जीवन लीला समाप्त कर दिया है, जिससे हम काफी दुःखी एवं मर्माहत हैं ।

पूर्व की भाँति सदन में प्रश्नोत्तर-काल को आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा एवं डेफर्ड प्रसारण कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे बिहार के आम-आवाम सदन में आपकी गतिविधियों से रू-ब-रू हो सके । आप अवगत हैं कि बिहार विधान सभा की कार्यवाही को जन-जन तक

पहुँचाने के लिए बिहार विधान सभा ने वेबकास्ट सेवा प्रारम्भ की है जिसे webcast.gov.in/biharvs पर देखा जा सकता है। साथ ही संसदीय प्रणाली को प्रभावशाली बनाने हेतु बिहार विधान सभा सचिवालय ने प्रश्नों की ऑन लाइन सूचना प्रणाली प्रारम्भ की है, जिससे माननीय सदस्यों को प्रश्न देने, प्रश्नों के उत्तर जानने संबंधी सुविधायें उपलब्ध हुई हैं, जिसे आप <http://blaqrms.bih.nic.in> पर देख सकते हैं तथा उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं।

मुझे आशा और विश्वास है कि सदन के संचालन में आप सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।